Ludhiana & Mumbai. The exporters can complete almost all formalities and paper-work with the Central Excise office having jurisdiction on the warehouse for sourcing the export goods from factories in any part of the country instead of, with offices at all such places. They can procure the goods in bulk, pack, re-pack, label or relabel and export in split quantities and assorted as per export order. Such alterations in exporter's store rooms are not permissible under normal export.

(c) Docs not arise since already implemented.

(d) Only the Central Warehousing Corporation has shown keen interest in the Scheme and has represented for their inclusion in the Scheme.

Impact of Entry of Tobacco Companies on Revenue and Excise

2574. DR. MOHAN BABU: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether Government have examined the impact on revenue and excise by the entry of foreign tobacco companies with 100 per cent foreign equity; .

(b) if so, the details thereof;

(c) what would be the possible impact of such a policy on revenue and excise collection; and

(d) the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (BANKING, REVENUE AND INSURANCE) (SHRI KADAMBUR M. R. JANARTHANAN): (a) Presently, there is no proposal under consideration for any duty/tax concessions for cigarette industry. Therefore, the question of impact on revenue and excise duty collections does not arise and hence no such examination is required.

(b) to (d) Do not arise in view of (a) above.

अधिवक्ता अधिनियम की धारा 30 को लागू करना

2575. **श्री ओंकार सिंह लखावत**: क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार अधिवक्ता अधिनियम की धारा 30 के प्रावधानों को लागू करने के लिए अधिसूचना जारी करने का विचार रखती है; यदि हां, तो कब तक ; और

(ख) क्या धारा 30 को अधिसूचित करने की मांग के मुद्दे पर वकीलों ने देशभर में आंदोलन आरंभ कर दिया है ?

विधि न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री एम. थम्बी दुरई): (क) और (ख) अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 30 को प्रवर्तन में लाने की साध्यता सरकार के विचारधीन है । भारतीय विधिक परिषद द्वारा की गई मांग के अनुसार, 26 नवम्बर, 1998 को, संपूर्ण भारत में अधिवक्ता अधिनिय, 1961 की धारा 30 के तत्काल प्रवर्तन के लिए विरोध दिवस के रूप में मनाया गया था ।

एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के अन्तर्गत समिति का गठन

2576. **श्री रमा शंकर कौशिक** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महानिदेशक, राजस्व, आसूचना (डी. जी. आर. आई.) द्वारा दर्ज मामलों की जांच के लिए एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के अन्तर्गत सरकार द्वारा किसी समिति के गठन पर विचार किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) वर्स 1997-98 के दौरान दर्ज मामलों की संख्या कितनी है तथा इन पर की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है ?

विधी, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री एम. थम्बी दुरई): (क) से (ग) पंजीकरण और जांच महानिदेशालय द्वारा पंजीकृत मामलों की जांच के लिए